



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 796 राँची, मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 दिसम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप(रा०सू०आ०)-2-6/2018-28725(HRMS)--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-50/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के विरुद्ध अपील वाद सं०-1369/2012 सुरेन्द्र कुमार सिंह बनाम जन सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नामकुम में पारित आदेश के आलोक में स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक-1358(ii)/स्था०, दिनांक 12.11.2020 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध जन सूचना पदाधिकारी के रूप में आवेदक को शपथ पत्र उपलब्ध नहीं करवाने एवं आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6411, दिनांक 09.12.2020 एवं पत्रांक-2672, दिनांक 18.06.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त है, अतः मामले के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित मानते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-300, दिनांक 12.01.2024, पत्रांक-3010, दिनांक 26.04.2024 एवं स्मार पत्रांक-4589, दिनांक 12.07.2024 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। पुनः विभागीय पत्रांक-6288, दिनांक 26.09.2024 द्वारा अंतिम रूप से स्मारित करते हुए एक पक्ष के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, फिर भी उनका द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहा ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनोज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR 20060400042	श्री मनोज कुमार, झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक-50/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
